न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 61/2021
GCMS NO. : 2021/99

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी:

1. हनुमानराम पुत्र गोकलराम जाति प्रजापत निवासी– पाटवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।

प्रतिवादीगण:

1. गोकलराम पुत्र गणेशराम
2. किशोर पुत्र गोकलराम
3. रमेश पुत्र गोकलराम जातियान–प्रजापत निवासीगण पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02/09/2021

उपस्थितः– 1. श्री चुतरा राम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 04/01/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पाटवा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 संयुक्त हिन्दू परिवार की कब्जा काश्त खातेदारी शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 1.1088 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नमबर 568 रकबा 0.6718 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2752 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.5180 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 2.5738 हैक्टर की आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि खातेदार गणेशराम के नाम की दर्ज रही। गणेशराम का देहान्त मृत्यु के पश्चात जरिए विरासत के उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 गोकलराम के नाम दर्ज की गई गोकलराम की वंश वृक्षावली वाद–पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सेटलमेन्ट से गोकलराम के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार हक, हिस्सा राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार चला आ रहा जो स्वर्गीय गणेशराम के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 01 को हिन्दू उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई हैं। जिसकी जमाबन्दी की नकले दावा के साथ पेश हैं। प्रतिवादी संख्या 01 गोकलराम संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार का मुखिया है वादी जाति से प्रजापत हैं जन्म से हिन्दू है वादी प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र है, जो साझा हिन्दू परिवार का सदस्य है साझा हिन्दू परिवार के कर्ता गोकलराम पुत्र गणेशराम [illegible] है। जन्म से ही यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को [illegible] (जन्म से) [illegible] अधिकार उत्पन्न हो गया हैं। यानि वादी के खातेदारी अधिकार स्वतः ही [illegible] हो गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

एवं वादी का हिस्सा अधिकार निहित हैं। इसलिए वादी को अपने हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 परिवार के मुखिया होने से अपनी स्थिती का दुरूपयोग करते हुए उक्त भूमि विरासत से प्राप्त होने से संयुक्त हिन्दु परिवार के सभी सदस्यों का बराबर-बराबर हक, अधिकार निहित है उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 वादी को अपने हक हिस्से से वंचित करने के आशय से उक्त वाद में वर्णित अपने हिस्से की कृषि भूमि आराजी को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 व किसी अजनबी व्यक्ति को रहन, बैचान, बक्शीश, हस्तान्तरण करने पर उतारू है तथा वादी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 गोकलराम अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो वादी के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि वादी के पास उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त हेतु कृषि भूमि नहीं है। उपरोक्त वर्णित एक मात्र आराजी जिस पर वादी अपना भरण-पोषण लालन-पालन का जरिया है व वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षति किसी कदर सम्भव नहीं है तथा वादी अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे इसलिये वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तेनी संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त में निरन्तर व सह-काश्तकार के रूप में चला आ रहा है उक्त भूमि संयुक्त सम्पत्ति होने से जब तक उसका कानूनी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी संख्या 01 को किसी अन्य के पक्ष में बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है। कृषि भूमि के कब्जा काश्त व उपयोग/उपभोग में बाधा अड़चन अवरोध पहुचाने का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का निर्माण करने का आगे बैचान हस्तान्तरण करने रहन रखने का प्रतिवादी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा निहित है उसके अभाव में प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त आराजी का बैचान करने, गिरवी रखने, हस्तान्तरण करने पर आमादा है प्रतिवादी संख्या 01 अपने उपरोक्त गलत मन्सूबो में कामयाब हो गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी वादी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठारातघ होगा ऐसी परिस्थिति में रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार व विधिक प्रावधानों व भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तेनी होने के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिवादी संख्या 02 को विधि विरुद्ध कृत्य करने व जबरन कब्जा करने व कराने से रोके जाने में ही है जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र श्रीमान [illegible] समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। प्रतिवादी संख्या [illegible] सरकार के प्रतिनिधि है जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार [illegible] बनाया गया है वाद पत्र के विधिक नोटिस दिये बिना अनुमति ह[illegible] प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सी.पी.सी. का वाद पत्र के साथ अलग से प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 24/08/2021 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण को इस विवादित आराजी से बेदखल कर आराजी अन्य हस्तान्तरण व बैचान करने की धमकी देने पर बमुकाम पाटवा तहसील जैतारण में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद व न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि ग्राम पाटवा तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 563 रकबा 1.1088 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 568 रकबा 0.6718 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 571 रकबा 0.2752 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 717 रकबा 0.5180 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 2.5738 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार की कब्जा काश्त शामलाती कृषि भूमि है। गणेशराम के देहान्त के पश्चात् विरासत से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 गोकलराम के नाम राजस्व रिकर्ड में दर्ज हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 गोकलराम (प्रतिवादी संख्या 01) के उत्तराधिकारी है। अतः वादी का वाद में वर्णित वंशावली के अनुसार हक, हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया है।
2. वादी द्वारा बतौर साक्ष्य वादी PW-1 वादी हनुमानराम पुत्र गोकलराम का साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम पाटवा संवत् 2074–2077, प्रदर्श–2 पर्चा लगान प्रदर्श करवाये गये। वादी मय अधिवक्ता द्वारा अन्य शहादत पेश नहीं करना चाहा गया।
3. वादी द्वारा वाद–पत्र में यह अभिकथन किये है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है तथा वादग्रस्त [illegible] कोपार्सनेरी की संपत्ति रही है, जिसमें जन्म से वादी [illegible] 3 को बाई बर्थ स्वामित्व अधिकार उत्पन्न हो [illegible] आराजी की जमाबंदी संवत् 2074–77 के अवलोकन से यह [illegible]ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 01 गोकलराम (वादी के पिता) के नाम दर्ज है। प्रथम तो, वादी द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में पिता के नाम भू–अभिलेख में दर्ज कृषि भूमि को कोपार्सनेरी संपत्ति बताते हुए अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद किया है परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी कोपार्सनेरी संपत्ति साबित करने हेतु सिवाय पर्चा लगान (प्रदर्श–2) के अलावा अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के संबंध में कथन किये है परन्तु उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साक्ष्य के स्तर पर भी वादी द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ–पत्र के अलावा अपने वाद के समर्थन में अन्य कोई गवाह भी पेश नहीं करना चाहा गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य के अभाव में वादी वादग्रस्त आराजी कोपार्सनेरी संपत्ति साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। वादग्रस्त आराजी कोपार्सनेरी संपत्ति साबित नहीं होने से वादी द्वारा वादपत्र में घोषणा संबंधी चाहा गया अनुतोष संभव नहीं है।

4. चुंकि वादी अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पाने में विफल रहे है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अभिलिखित खातेदार ही बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी सारहीन होने से काबिल–ए–निरस्त के है।

उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी अपना वाद अन्तर्गत धारा 88,53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2022 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. हनुमानराम पुत्र गोकलराम जाति प्रजापत निवासी– पाटवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. गोकलराम पुत्र गणेशराम 2. किशोर पुत्र गोकलराम 3. रमेश पुत्र गोकलराम जातियान–प्रजापत निवासीगण पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली। 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 61/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 ,53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चुतरा राम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **04/01/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	[illegible]	0.00
मिजानः–	10.00	मिजान	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:58:23 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर [illegible] चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।